प्रेस नोट - दिनांक 11.07.2026

साइबर क्राइम थाना, जनपद उन्नाव।

09 अदद स्मार्ट फोन के साथ 06 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश पुलिस, श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय लखनऊ जोन एवं श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय लखनऊ रेंज के कुशल निर्देशन में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय दक्षिणी के कुशल पर्यवेक्षण में सर्विलांस टीम, थाना साइबर पुलिस एवं थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 09 अदद स्मार्ट फोन के साथ 06 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- NCRP Portal के माध्यम से प्राप्त देश के भिन्न-भिन्न प्रान्तों व जनपदों में हो रहे साइबर अपराध से सम्बन्धित ऑनलाइन वित्तीय साइबर क्राइम से सम्बन्धित ऐसे प्रकरण जिसमें फ्राडस्टर द्वारा चेक,कैश,यू.पी.आई. आदि भिन्न-भिन्न माध्यमों से भोली-भाली जनता को अपने जाल में फंसाकर उनकी कमाई उन्नाव जनपद में कैश आउट करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुए संदिग्ध खाते व चेक व ए.टी.एम. विड्राल के सम्बन्ध में साइबर क्राइम पुलिस थाना,जनपद-उन्नाव द्वारा जाँच की गयी और साइबर क्राइम पुलिस थाना के उ0नि0 श्री सुभाषचन्द्र द्वारा मु0अ0सं0 418/2026 धारा-318(4),61 बी.एन.एस. थाना कोतवाली सदर जनपद-उन्नाव में पंजीकृत कराया। जिसमें थाना-कोतवाली सदर,जनपद-उन्नाव व साइबर क्राइम पुलिस थाना,जनपद-उन्नाव की टीम द्वारा संदिग्ध खातों में रूपयों का लेन-देन तथा चेक विड्राल व ए.टी.एम. से पैसों को गलत तरीके से प्राप्त करते हैं यह लोग संगठित होकर चेन बनाकर पर्सेन्टेज लेकर म्यूल खातों को साइबर फ्राड में प्रयोग करते हैं और अपना-अपना हिस्सा प्राप्त कर लेते हैं। जिसके सम्बन्ध में बैंक स्टेटमेंट व ए.टी.एम. की सी.सी.टी.वी फुटेज आदि साक्ष्य एकत्र करते हुए 06 नफर अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी करते हुए उनके साइबर क्राइम करने में प्रयुक्त 09 अदद स्मार्ट फोन की बरामदगी की गयी तथा मुकदमें से सम्बन्धित संदिग्ध खातों में करीब 100000/- (एक लाख) रूपये फ्रीज कराये गये व संदिग्ध अन्य खातों को की भी जाँच कर फ्रीज कराये जायेंगे।

अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. आकाशदीप सोनी पुत्र श्याम कुमार सोनी निवसी-88, कलेक्टरगंज,थाना-कोतवाली सदर,जनपद-उन्नाव उम्र लगभग 29 वर्ष।
2. संदर्भ कुमार पुत्र प्रमोद कुमार मिश्रा निवासी-ए-302,आवास विकास कालोनी, थाना-दही,जनपद-उन्नाव उम्र लगभग 38 वर्ष।
3. फैजान अशरफ पुत्र नूरे अशरफ निवासी-50,जेर खिड़की,थाना-कोतवाली सदर,जनपद-उन्नाव उम्र लभगभ 35 वर्ष।
4. नीरज कुशवाहा पुत्र स्व0 सुन्दरलाल कुशवाहा निवासी-रानीपुर पोस्ट कांथा, थाना-असोहा,जनपद-उन्नाव उम्र लगभग 35 वर्ष।
5. सोम तिवारी पुत्र मनोज कुमार तिवारी निवासी-ए-5, आवास विकास कालोनी,थाना-दही,जनपद-उन्नाव उम्र लगभग 30 वर्ष।
6. अभिज्ञान चौधरी उर्फ आर्यन पुत्र मनोज चौधरी निवासी-नई बस्ती,कुटवा छठामील थाना-बक्शी का तालाब, जनपद-लखनऊ उम्र लगभ 28 वर्ष।

बरामदगी-

09 अदद स्मार्ट फोन।

100000/- रूपये खातों में फ्रीज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

साइबर क्राइम थाना जनपद उन्नाव	थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव	सर्विलांस सेल
1. प्र0नि0 श्री राजेश पाठक। 2. निरी0 श्री राजेश कुमार मिश्रा 3. उ0नि0 श्री सुभाषचन्द्र 4. मु0आ0 अजय पाल 5. मु0आ0 तरूण कुमार सिंह 6. मु0आ0 राधेश्याम 7. कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रियांशी यादव 8. आरक्षी शमसुद्दीन 9. आरक्षी गोपाल द्विवेदी 10.आरक्षी संजय कुमार 11.आरक्षी विपिन दांगी	01.प्र0नि0 श्री चन्द्रकान्त मिश्रा 02.निरी0 अपराध श्री राजेश यादव। 03.उ0नि0 श्री रविशंकर पाण्डेय। 04.मु0आ0 शादाब खान। 05.आरक्षी विनीत पाल। 06.आरक्षी राहुल माथुर। 07.रि0आरक्षी जय कुमार। 08.रि0आरक्षी अंकुश पाण्डेय। 09.रि0आरक्षी दीपक 10.रि0आरक्षी रवीन्द्र 11.रि0आ0 मोहित 12.रि0आ0 शिवेन्द्र राजपूत	1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार वर्मा। 2. मु0आ0 सुदीप कटियार। 3. आरक्षी अरुन कुमार। 4. आरक्षी प्रशांत बालियान। आरक्षी विवेक कुमार

प्रेस नोट - दिनांक 11.07.2026

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव।

01 अदद चैन पीली धातु व मोटर साइकिल सहित 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 01 अदद चैन पीली धातु व मोटर साइकिल सहित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 09.07.2026 को वादिनी मुकदमा श्रीमती सुनीता त्रिपाठी पत्नी वेद प्रकाश त्रिपाठी निवासी सिलौली वुजुर्ग थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात हाल पता म0नं0 1083 ए0बी0 नगर थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव द्वारा थाना कोतवाली सदर पर तहरीर दी गयी कि मोटरसाईकिल सवार दो अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिनी की गले मे पहनी चेन को छीनने का प्रयास किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 413/2026 धारा 309(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दिनांक 11.07.2026 को थाना कोतवाली सदर मय पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चैन स्नैचर को रात्रि गस्त/वाहन चेकिंग के दौरान हुसैन नगर से पहले नहर पुलिया के पास से वांछित 03 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से एक अदद गले की चैन पीली धातु व घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल होण्डा साइन बरामद हुई। कड़ाई से पूछताछ की गयी तो अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि अभियुक्त सागर गौतम व अर्जुन कुमार द्वारा चैन लूटने की घटना कारित की जाती है तथा अभियुक्त अभिषेक रहने व खाने की व्यवस्था करता है तथा लूटे गये माल को बेचने का कार्य करता है। तीनों अभियुक्तों के गिरोह द्वारा उक्त घटना मिल-जुल कारित की जाती है। दिनांक 07.07.2026 को ए0बी0 नगर में एक महिला से चैन लूटने का प्रयास किया था विफल होने पर आदर्श नगर में एक महिला के गले से सोने की चैन लूट ली थी। गिरफ्तारी व बरामदगी के दौरान मौके पर पहुचे अमरीश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद नि0 अकबरपुर दबौली थाना माखी जनपद उन्नाव द्वारा अभियुक्तगणों सागर गौतम व अर्जुन कुमार एवं घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व अपने माँ की लूटी गयी चैन को देख कर पहचान की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में मुकदमा उपरोक्त में धारा 309(4)/317(2)/61 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. सागर गौतम पुत्र बिहारी लाल गौतम नि0 7/14 गांधीनगर उम्र करीब 32 वर्ष थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव

2. अर्जुन कुमार पुत्र सूरज प्रसाद उम्र करीब 24 वर्ष नि0 177/330 ब्लाक गीता नगर थाना काकादेव कानपुर नगर
3. अभिषेक सिंह पुत्र विमल कुमार सिंह उम्र करीब 25 वर्ष नि0 मुरार नगर सोम थाना संडीला जनपद हरदोई

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण

सागर गौतम पुत्र बिहारी लाल गौतम नि0 7/14 गांधीनगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव

1. मु0अ0सं0 229/17 धारा 379/411/420/467/471 भादवि थाना स्वरुप नगर कानपुर नगर
2. मु0अ0सं0 543/17 धारा 41/411/420/467/471 भादवि थाना काकादेव कानपुर नगर
3. मु0अ0सं0 18/15 धारा 18/20 NDPS Act थाना कलक्टरगंज कानपुर नगर
4. मु0अ0सं0 413/26 धारा 309(5)/309(4)/317(2)/61 बीएनएस थाना कोतवाली सदर उन्नाव

अभिषेक सिंह पुत्र विमल कुमार सिंह नि0 मुरार नगर सोम थाना संडीला जनपद हरदोई

1. मु0अ0सं0 435/25 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना सण्डीला जनपद हरदोई
2. मु0अ0सं0 413/26 धारा 309(5)/309(4)/317(2)/61 बीएनएस थाना कोतवाली सदर उन्नाव

बरामदगी-

1. UP30 AB8588 मोटर साइकिल होण्डा साइन
2. लूटी हुई एक अदद गले की चैन पीली धातु 12 ग्राम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभआरी निरीक्षक श्री चन्द्र कान्त मिश्र

2. उ0नि0 श्री उग्रसेन सिंह

3. उ0नि0 श्री अंजनी सिंह

4. हे0का0 रामदेव प्रजापति

5. का0 रजत

6. का0 अमित कुमार

7.का0 रामकुमार

8. स्वाट व सर्विलांस टीम जनपद उन्नाव

प्रेस नोट - दिनांक 11.07.2026
थाना औरास, जनपद उन्नाव ।

झपट्टेमारी के 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 09.07.2026 को वादी श्री राजकिशोर पुत्र रामशंकर निवासी रामपुर गढ़ौवा थाना औरास जनपद उन्नाव द्वारा थाना औरास पर तहरीर दी कि दिनांक 08.07.2026 को समय करीब 19.30 बजे 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी का मोट्रोला मोबाइल सीमऊ बाजार से परचून का सौदा लेकर अपनी मोटरसाइकिल से वापस घर जाते समय नन्दौली पुलिया के पास झपट्टा मार कर ले लिया था। जिस सम्बन्ध में थाना औरास पर पर मु0अ0सं0- 176/2026 धारा 304 बीएनएस बनाम 03 अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. रफी अहमद पुत्र अली शेर उम्र करीब 42 वर्ष निवासी दौलतपुर थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ 2. मोहम्मद रजी पुत्र शफी अहमद उम्र करीब 29 वर्ष निवासी दौलतपुर थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ हाल पता अन्धे की चौकी इंटर कालेज बर्फ फैक्ट्री थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ 3. प्रशान्त बाथम पुत्र कमलेश बाथम उम्र करीब 26 वर्ष निवासी बगिया सोहनलाल थाना कायमगंज जनपद फर्ररुखाबाद हाल पता अन्धे की चौकी इंटर कालेज बर्फ फैक्ट्री थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु मामूर होकर भुरकुण्डी चौराहा पर पहुँचे कि दिनांक 10.07.2026 को मुखबिर खास सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. रफी अहमद 2. मोहम्मद रजी 3. प्रशान्त बाथम उपरोक्त को मोबाइल झपट्टा मारने की घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल डिस्कवर नं0 UP32KY0849 के साथ झपट्टामार की घटना में छीने गये दो अदद मोबाइल फोन सहित माखन खेड़ा चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को मुकदमा उपरोक्त व धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। गिरफ्ताराशुदा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पता-

1. .रफी अहमद पुत्र अली शेर उम्र करीब 42 वर्ष निवासी दौलतपुर थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ
2. मोहम्मद रजी पुत्र शफी अहमद उम्र करीब 29 वर्ष निवासी दौलतपुर थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ हाल पता अन्धे की चौकी इंटर कालेज बर्फ फैक्ट्री थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ

3. प्रशान्त बाथम पुत्र कमलेश बाथम उम्र करीब 26 वर्ष निवासी बगिया सोहनलाल थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद हाल पता अन्धे की चौकी इंटर कालेज बर्फ फैक्ट्री थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ

आपाधिक इतिहास अभियुक्तगण

1.शफी अहमद उर्फ जग्गा पुत्र अलीशेर निवासी दौलतपुर थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

मु0अ0सं0 604/2017 धारा 3/5/7 गौ वध अधि0

मु0अ0सं0 423/2017 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)x SC/ST Act.

2.रजी अहमद पुत्र शफी अहमद निवासी दौलतपुर थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

मु0अ0सं0 423/2017 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)x SC/ST Act.

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद मोबाइल मोट्रोला कम्पनी

2. एक अदद मोबाइल POCO कम्पनी

3.घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल डिस्कवर रजि0नं0 UP32KY0849

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

01.प्र0नि0 श्री संजीव कुमार

02.उ0नि0 श्री उपेन्द्र कुमार

03.का0 अमित कुमार

04. का0 नवीन कुमार

05.का0 विनीत कुमार

06.का0 कृष्णप्रताप

07.का0 गोविन्द दीक्षित